तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
10/4/19		वकील फरीकेन उप०/ ००० साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 24/4/19 को पेश हों।
8/5/19		तारीख पेशी जनरल नोटिस के बदले जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकेन आ० बहस मजीद सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/5/19 को पेश हो।
24/5/19		वकील फरीकेन उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसला अनुसार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
24/16	अस्थायी निषेधाज्ञा	02.06.16	21.05.19

1. कल्लू 2. मोहरसिह उर्फ मोहनसिह 3. पप्पू उर्फ मदनसिह पिसरान रतनलाल 4. गुलबाई पत्नि स्व0 रतनलाल 5. हरिओम 6. ओमप्रकाश 7. मुनेश पिसरान परसादी 8. सन्तो बेवा परसादी सभी जाति कुम्हार निवासी तमोलीपुरा सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रूपसिह 2. महेश 3. दिनेश पुत्रान हरफूल 4. छोटी बेवा हरफूल 5. बबलू 6. बाबू पुत्रान मूलचन्द 7. केसूली पत्नि मूलचन्द 8. अशोक 9. वेदप्रकाश पुत्रान भरोसी 10. मिथलेश पुत्री भरोसी 11. ब्रहमा पत्नि भरोसी 12. कावेरी देवी प्रकाश सभी जातिगण कुम्हार निवासीयान तमोलीपुरा सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र सोनी वकील प्रार्थीगण।
श्री मदनमोहन गुप्ता वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 7
श्री नेमीचन्द गर्ग वकील अप्रार्थी सं0 8 ता 11

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा के आराजी खाता सं0 339 खसरा नं0 1771 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 1773 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा व खाता सं0 370 खसरा नं0 907 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 1772 रकबा 03 बीघा कुल किता दो कुल रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि जो कि फरीकेन की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 है। उक्त विवादित भूमि का फरीकेन ने अपने दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा पारिवारिक सामंजस्य से किया हुआ है तथा अपने दर्ज हिस्से अनुसार काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। बाहमी बंटवारा अनुसार प्रार्थीगण ने खसरा नं0 1772 व खसरा नं0 1773 को फसल काश्त करने के लिए अपने कब्जे काश्त मे ले रखा है जिसे प्रार्थीगण ने कठोर परिश्रम कर व धन खर्च कर उपजाउ योग्य बनाया है तथा खसरा नं0 1773 मे अपने निजी खर्चा से एक बोर सिचाई पिलाई के लिए भी खुदवाया है जो आज भी प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व मे है। अप्रार्थी सं0 1 ता 12 के मन मे बदनियति से तथा अन्य स्ट्रेन्जर परचेजर के आने से मौके पर विवाद होने का अन्देशा हो गया है। दिनांक 20.05.2016 को प्रार्थीगण अपने हिस्से की अपने उक्त दर्ज भूमि की साफ सफाई करने गये तो अप्रार्थी सं0 1 ता 12 सभी मोके पर आ गये और सभी ने एलानिया धमकी देकर कहा कि इस वर्ष तुम्हे हम उक्त दर्ज भूमि पर फसल काश्त नही करने देगें तथा रहन वय करके रहेगे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने काफी समझाया तथा कहा कि तहसील कार्यालय चलकर हम दर्ज भूमि का अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करा ले। इस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने व हिस्सा नही देने की ऐलानिया धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 12 व 13 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 14 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 11 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात मे गणेशी पुत्र भोलू का हिस्सा है तथा भरोसी भोलू का दत्तक पुत्र है। भरोसी के हम अप्रार्थीगण वारिशान का भी हिस्सा है। सभी पक्षकारान एवं गणेशी संयुक्त रूप से काबिज है बंटवारा कभी नही हुआ। संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। भोलू ने अपने जीवन मे भरोसी को गोद लिया था तथा गणेशी भोलू की पुत्री है जो आवश्यक पक्षकार है जिसकी ओर से गणेशी बनाम रूपसिह दावा घोषणा बंटवारा का लंबित है। एसी स्थिति मे दर0 मय खर्चा खारिज होने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी संबत् 2069–72 ग्राम सलेमपुर के मुताबिक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु इसी आराजीयात से सम्बन्धित इन्ही पक्षकारान के के मध्य अन्य वाद पत्र उनवानी गणेशी बनाम रूपसिह वगैरहा घोषणा एवं बंटवारा का इस न्यायालय मे लंबित है चूंकि दोनो वाद पत्र इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं इसी आराजीयात से सम्बन्धित है इसलिए दोनो वाद पत्रों को एक साथ समेकित किये जाकर एक साथ निर्णय किया जाना है वाद पत्र घोषणा एवं बंटवारे का है, जिन्हे साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर निर्णय किये जाने है। प्रार्थीगण ने पक्षकारान मे मध्य पूर्व से ही बाहमी बंटवारा किया हुआ है यह कथन किया है। इसलिए पृथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा खसरा नं0 1771 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 1773 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 907 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 1772 रकबा 03 बीघा के मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 21.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner